**झारखण्ड सरकार**
**जल संसाधन विभाग।**

सं०सं०–8/ज० सं०(नि०)हजा०–02/2014ः–                    /राँची, दिनांक–

# संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह ने जबकि वे कनीय अभियंता, कोनार नहर प्रमण्डल बनासो के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 में विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान संयुक्त सचिव (निगरानी), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल बनासो द्वारा मनोनित सहायक अभियंता को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव में विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः–संयुक्त सचिव (निगरानी), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, बनासो द्वारा मनोनित सहायक अभियंता स्तर के पदाधिकारी श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
**(डॉ॰लम्बोदर महतो)**
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–                                        /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपिः–अनुबंध की प्रति के साथ– संयुक्त सचिव (निगरानी), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, बनासो / श्री मधुरेन्द्र कुमार सिंह, कनीय अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर, को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता, कोनार नहर प्रमंडल, बनासो को निदेशित करना है कि अपने स्तर से इस विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुती पदाधिकारी को अपने स्तर से मनोनित करेगें।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें। साथ ही साथ कार्यवाही से अवगत कराते रहें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

(कृ॰पृ॰उ॰)

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

<u>अनुलग्नकः–यथोक्त्</u>।

ह0/–

**(डॉ॰लम्बोदर महतो)**

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 5253 /राँची, दिनांकः– 28-4-14

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3) जल संसाधन विभाग, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**(डॉ॰लम्बोदर महतो)**

सरकार के अवर सचिव।